जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Nancy Sharma W/o Bharat Sharma R/o K-14, South Extension-1, Delhi have changed my name to Nancy Sharmaa for all purposes.
0070897637-1

I, Sunil Kumar S/o Om Prakash Saxena R/o 23/89/ Street-5, East Azadnagar, Delhi have changed my name to Sunil Kumar Saxena.
0070897634-1

I, Naveen S/o Satbir Singh, holder of Indian Passport no. S6101789, R/o Hno. 128, Near Vishwakarma Chowk Bishan Dass Colony, Camp Yamunanagar, Haryana have changed my name Naveen and surname Naveen.
0040723194-1

I, Dheeraj Chamyal S/o Govind Singh, R/o E-106 Upper Ground Floor 1, Behind Tarak Hospital Nawada Housing Complex, Dwarka More, Bhagwati Garden, Uttam Nagar, West Delhi - 110059, declares that my mother's name has been wrongly written as Champa Chamyal in my class 10th marksheet. The actual name of my mother name is Champa Devi
0040723193-1

I Vikas S/O, Sarwan Kumar R/o Flat No C3-1303 Palm Residency Sector 76 Faridabad Pin 121004 have changed my name to Vikas Dhiman.
0040723190-1

I Suhani Sethi Arora W/o Jatin Arora R/o B-3/155, Janak Puri, New Delhi-110058, have changed my name from SUHANI ARORA to SUHANI SETHI ARORA both are same person and SUHANI SETHI ARORA for all future purposes.
0040723101-1

खोया+पाया

I, Gauri Wattal have LOST complete file F19(2)104/79/SFSI and ORIGINAL allotment papers of my Flat No. 240 and Servant Quarter No 19 in Siddhartha Enclave, Ashram Chowk, Ring Road, NEW DELHI 110 014. Police Report has been filed for the same vide LR 1588226/2024 on 27th March 2024. Finder please contact on above address
0070897582-1

फार्म नं. INC-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम-30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5) के क्लॉज (ए) के मामले में
और
बीआरएसडी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U80904DL2013PTC259975) पंजीकृत कार्यालय बी-81, ग्राउंड फ्लोर, आनंद विहार,पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110092 के मामले में, ...(आवेदक)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने दिनांक 22 जनवरी, 2024 को आसाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत अधिकार प्राप्त क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भर कर जमा कर सकते है या किसी के द्वारा या पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पता -बी 2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003" पर भेज सकते है। शिकायत फॉर्म के साथ आपत्तियां दर्ज करते हुए एक शपथपत्र देना होगा और शिकायत पत्र की एक कॉपी आवेदक कंपनी के ऊपर दिए पंजीकृत पते पर भेजनी होगी।

निदेशक बोर्ड की ओर से
बीआरएसडी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
तिथिः 08.04.2024 नितिन यादव (निदेशक)
स्थानः दिल्ली DIN: 08903869

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के अनुपालन में]
सार्वजनिक सूचना
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के
मामले में
तथा
भारत यूनिक इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, बरहाना झज्जर-124107 (एचआर) में हैं, के मामले में .... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 11 मार्च, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा/वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः **क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र : बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली**-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
1, बरहाना झज्जर-124107 (एचआर)

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
कृते, भारत यूनिक इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
तिथि : 8.4.2024 पवनीत समरवाल
स्थान : नई दिल्ली (पद नाम : निदेशक)
DIN No: 08766204
पता : सीबी/3, हरिनगर क्लॉक टावर, दिल्ली-110064

व्यक्तिगत

मैं, समा राजीव, पुत्री श्यामलाल तनेजा, निवासी मकान संख्या एस-545, प्रथम तल (पीछे), ग्रेटर कैलाश भाग 2, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली - 110048, ने अपना नाम बदलकर समा श्यामलाल तनेजा रख लिया है।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड
SURAKSHA Asset Reconstruction
(पूर्व में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
(सीआईएन : यू74120एमएच2015पीएलसी268857)
पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, 36 डा. आर.के. शिरोडकर मार्ग, परेल पूर्व, मुंबई-400012
दूरभाष : 91 22 4027 3798, फैक्स : 91 22 4027 3700, वेबसाइट : www.surakshaarc.com

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (अपनी क्षमता के तहत सुरक्षा एआरसी-020 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत्) ("सुरक्षा एआरसी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, एल एंड टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वित्तीय परिसंपत्तियों के एसाइनी के रूप में, एसाइमेंट अनुबंधन दिनांकित 29.12.2017 द्वारा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 08.02.2019 (उक्त "सूचना") निर्गत की थी, जिसमें **1) श्री विकास गर्ग (उधारकर्ता), 2) श्रीमती निधि गर्ग** (सह-उधारकर्ता / गारंटर) को उक्त सूचना में अंकित, 29.01.2019 के अनुसार, **रु. 6,99,98,797.21/- (रुपये छह करोड़ निन्यानबे लाख अट्ठानबे हजार सात सौ सत्तानबे एवं इक्कीस पैसे मात्र)** का, वसूलीकरण होने तक इस राशि पर आकलित भावी ब्याज एवं शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **03-04-2024** को, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, 29.01.2019 के अनुसार देय **रु. 6,99,98,797.21/- (रुपये छह करोड़ निन्यानबे लाख अट्ठानबे हजार सात सौ सत्तानबे एवं इक्कीस पैसे मात्र)** की एक राशि तथा वसूलीकरण तक इस राशि पर आकलित भावी ब्याज एवं शुल्कों हेतु सुरक्षा एआरसी के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :

एम-8 के रूप में विद्यमान संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो यूनिट नं. 1, प्रथम तल (निर्मित क्षेत्राधिमापन 2015 वर्ग फुट तथा बॉलकनी क्षेत्रफल 32 वर्ग फुट, प्रथम तल के एक भाग के रूप में, भूमि के उक्त भूखंड में 16.54 प्रतिशत अविभाजित, अविभाज्य एवं अविभाजक स्वामित्वधारक अधिकारों के साथ, माप 500 वर्ग गज), ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली में स्थित है। **संपत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं :** पूर्व- भूखंड सं. एम/8ए, पश्चिम- भूखंड सं. एम/4, **उत्तर-** सर्विस लेन, **दक्षिण-** ...

दिनांक : 03-04-2024 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — (सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड)
(अपनी क्षमता के अंतर्गत सुरक्षा एआरसी -020 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत्)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HeroHousing Finance
संपर्क पताः बिल्डिंग नंबर 27, दूसरी मंजिल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
पंजी. कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057,
फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com
वेबसाइटः www.herohouseingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र ऋणी सैयद मासूम रजा रिजवी, कनीज बानो, जिसका ऋण खाता संख्या HHFLUCHOU20000011655 है, से संबंधित क्रमांक 2 पर संपत्ति के लिए जनसत्ता -लखनऊ में 27-03-2023 को प्रकाशित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस के हमारे विज्ञापन के संदर्भ में है, इसमें एनपीए तिथि को "08-03-2024" के बजाय "05-03-2024" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। " इस अनजाने में हुई त्रुटि के लिए खेद है।

दिनांक :-07-04-2024 — हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान :- लखनऊ — कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फ्रैश एंड हैल्दी एंटरप्राईजेज लिमिटेड
(भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी
भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय के अंतर्गत)
सीए स्टोर, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, राई, जिला सोनीपत, हरियाणा
भारत - 131029, फोन: +91 9571042053

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

एफएचईएल निम्नलिखित कार्य के लिए दो बोली मोड में ओपन ई-निविदा आमंत्रित करता है:-

निविदा संख्या	F&H/45761/Handling Tender/2024
कार्य का नाम	राई, सोनीपत में सीए स्टोर कार्गो प्रबंधन के लिए व्यावसायिक सेवाएं
अनुमानित लागत	₹ 130.25 लाख प्रति वर्ष
अनुबंध अवधि	1+1 वर्ष: प्रारंभिक अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा, निविदा शर्तों के अनुसार इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है
निविदा दस्तावेज का मूल्य	₹ 1,000/- (ई-भुगतान के माध्यम से)
धरोहर जमा राशि (ई.एम.डी.)	₹ 2,61,000/- (ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	03.05.2024 को 17:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि और समय	06.05.2024 को 11:30 बजे

वित्तीय पात्रता मानदंड, कार्य की समान प्रकृति के संबंध में अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, लेकिन संपूर्ण निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.com/FHEL से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/FHEL और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/एफएचईएल, फोन नंबर: 011-41222500

प्रपत्र संख्या एन.सी.एलटी. 3ए
विज्ञापन विवरण याचिका
[देखिए नियम 35]
2024 का सीपी नंबर 11 / सीएचडी / एचआरवाई

याचिका की सूचना

I2R कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी") के 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों और बोर्ड रिपोर्ट के संशोधन के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 77 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत एक याचिका याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा **05 फरवरी 2024** को प्रस्तुत की गई थी, और उक्त याचिका **मई 2024 के 08वें दिन** राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की माननीय चंडीगढ़ पीठ के समक्ष अगली सुनवाई के लिए तय की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के वकील को उसके नाम और पते के साथ उसके या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित उसके इरादे की सूचना भेजनी चाहिए, ताकि याचिकाकर्ता के वकील तक याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से दो दिन पहले पहुँच जाए। जहां यह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति इस तरह के नोटिस के साथ सुसज्जित की जाएगी। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसी के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएगी।

दिनांक: अप्रैल 2024 का 8वां दिन — रतन लाल
लाल घई एंड एसोसिएट्स
आवेदक कंपनी के लिए वकील
पता: 426, एमआईजी फ्लैट्स, अर्बन एस्टेट, फेस-3, दुगरी, आर्मी अपार्टमेंट के पास, लुधियाना -141013, पंजाब
संपर्क नंबर: 82840-00886 | ईमेल: fcs.rattan@gmail.com

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
भारतीय ऋणषोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)

मैसर्स जी वी मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	निगमित देनदार का नाम	मैसर्स जी वी मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	03/09/2002
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. / सीमित दायित्व पहचान सं.	CIN : U85110DL2002PTC116794
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पता :** 70-बी, पॉकेट-ई, गंगोत्री एन्क्लेव, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ करने की तिथि	03-04-2024 (आदेश 04.04.2024 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋणषोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	01-10-2024 (गणना कार्य 04.04.2024 से)
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	**नाम : श्री सौरभ शर्मा** **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P-02550/2021-2022/13951
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई-मेल	**पता :** बी-204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी-एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059 **ईमेल आईडी :** sk04sharma@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल	**पता :** बी-204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी-एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059 **ईमेल आईडी :** cirp.gvmpl@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	18-04-2024 (आदेश प्राप्ति से 14 दिवस)
12.	अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों,	लागू नहीं हैं
13.	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम)	लागू नहीं हैं
14.	(क) सुसंगत प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यहां उपलब्ध हैं :	**(क) सुसंगत प्रपत्र यहां पर उपलब्ध हैं** https://ibbi.gov.in/en/home/downloads **(ख) एनए**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण ने दिनांक 03-04-2024 को मैसर्स जी वी मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया, आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 04.04.2024 को प्राप्त हुयी)।
एतद्द्वारा मैसर्स जी वी मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 18-04-2024 को अथवा इससे पूर्व अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास, प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।
वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं।
एक वित्तीय ऋणदाता जो प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार किसी एक श्रेणी से संबंधित है, वह प्रपत्र सीए-लागू नहीं है, में श्रेणी (श्रेणी उल्लिखित करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी रुचि को प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के मध्य में से चुनकर उल्लिखित करेगा।
दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

सौरभ शर्मा
अंतरिम समाधान व्यवसायी
जी वी मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02550/2021-2022/13951
एएफए की वैधता : 18-12-2024 तक
निवास पता : बी-204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी-एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059
दिनांक : 07/04/2024
स्थान : नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-2, कर्नाटका
4था तल, बीएसएनएल बिल्डिंग, राज भावा रोड, बैंग्लोर-560001 के समक्ष
मूल आवेदन सं. 2022 का 1407

मामले में:
बैंक ऑफ महाराष्ट्र .... आवेदक
बनाम
इवाचेन टी तथा अन्य .... प्रतिवादीगण

पत्र प्रकाशन के द्वारा प्रतिवादियों के लिये ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 23 (VIII) के अंतर्गत समन्स

सेवा में,
1. प्रतिवादी सं. 1
इवाचेन टी, पुत्र थंकाचेन, मकान सं. 938ई, सेक्टर-39, यूनीटेक सायबर पार्क के निकट, गुड़गाँव-122003
इवाचेन टी, पुत्र थंकाचेन, जोसे भवन, थजाथू वड़क्कू पोस्ट, कोल्लम-691526
इवाचेन टी, पुत्र थंकाचेन, फ्लैट नं. 232, ए ब्लॉक, 2रा तल, डीएस मैक्स स्प्रिंग फिल्ड, डोड्डागुब्बी, बिडराहल्ली होब्ली, बैंग्लुरू-560077
2. प्रतिवादी सं. 2
सुसम्मा चाको, पत्नी इवाचेन टी मकान सं. 938ई, सेक्टर-39, यूनीटेक सायबर पार्क के निकट, गुड़गाँव-122003
सुसम्मा चाको, पत्नी इवाचेन, फ्लैट नं. 232, ए ब्लॉक, 2रा तल, डीएस मैक्स स्प्रिंग फिल्ड, डोड्डागुब्बी, बिडराहल्ली होब्ली, बैंग्लुरू-560077

जैसा कि आवेदक बैंक ने वर्तमान तथा भविष्य के ब्याज, लागत तथा अन्य राहतों के साथ **रु. 45,38,594/- (रु. पैंतालिस लाख अड़तीस हजार पांच सौ चौड़ानवे मात्र)** की राशि की वसूली के लिये आपके विरुद्ध बैंक के बकाया ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अंतर्गत एक आवेदन संस्थापित किया गया है।
एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत निर्देशित किसी वकील/अधिवक्ता के माध्यम से 05.06.2024 को दोपहर 10.30 बजे पूर्वा. में या उससे पूर्व समन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर यह स्पष्टीकरण दें कि मांग की गई राहतों को क्यूं न स्वीकार की जाए।
ध्यान रहे कि ऊपर वर्णित दिवस को उपस्थिति में चूक करने पर मामले की सुनवाई तथा निर्धारण आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।
मेरे हाथ से तथा माननीय अधिकरण की मुहर लगाकर आज 12 फरवरी, 2024 को दी गई।

अधिकारी (समन्स जारी करने के लिये अधिकृत) का हस्ताक्षर
ऋण वसूली अधिकरण-2
बैंग्लोर

बीएमबी म्यूजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः- बी-175 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302019, राजस्थान, भारत
ईमेल आईडीः kcbokadia.kcb@gmail.com, फोन नंबरः 8875779779
सीआईएन : L18101RJ1991PLC014466

गुरुवार, 02 मई, 2024 को 12:30 बजे अप./भा.मा.स. पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से होने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से गुरुवार, 02 मई, 2024 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जायेगी जिसके लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-175 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302019, राजस्थान, भारत स्थान के रूप में मान्य होगा।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों, नवीनतम 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सेबी द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 ('परिपत्र') के अनुसरण में कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति है।
उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम की इलेक्ट्रॉनिक सूचना, और रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विवरण के माध्यम से बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट आदि उन सभी सदस्यों को उनके ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा जिनकी ईमेल आईडी 25 अप्रैल, 2024 (नोटिस भेजने की अंतिम तिथि) तक कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, ये कंपनी की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com, और सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
कंपनी ने "रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग" के माध्यम से वोट डालने की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मैसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं।
कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 25 अप्रैल, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म www.evotingindia.com के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
सदस्य ध्यान दें कि:
(i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 29 अप्रैल, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 01 मई, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी, और उसके बाद ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा।
(ii) एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(iii) सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 25 अप्रैल, 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
(iv) कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 25 अप्रैल, 2024 तक शेयर धारण करता है, एजीएम की सूचना के लिए नोट संख्या 20 में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
(v) कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही ई वोटिंग के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग/वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
(vi) कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(vii) श्री तारा चंद शर्मा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या 5749 और सीपी संख्या 4078) को ई-वोटिंग और रिमोट ई वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
(viii) यदि शेयरधारकों के पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।
(ix) ई-वोटिंग और वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के विस्तृत निर्देश के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की सूचना पढ़ें।
आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2024 से गुरुवार 02 मई, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

बीएमबी म्यूजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
पंजीकृत कार्यालयः- बी-175 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302019, राजस्थान, भारत
ई-मेल आईडीः kcbokadia.kcb@gmail.com, संपर्क नंबर .: 8875779779
सीआईएनः L18101RJ1991PLC014466
स्थानः जयपुर — प्रेरणा शर्मा
दिनांक- 06 अप्रैल, 2024 — कंपनी सचिव

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
भारतीय ऋणषोधना क्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधना क्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)

डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	निगमित देनदार का नाम	डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	21/05/2007
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत/पंजीकृत है	रजिस्ट्रॉर ऑफ कंपनीज, बैंगलोर
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. / सीमित दायित्व पहचान सं.	U63033KA2007PTC042858
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	जक्कूर एरोड्रोम, बेल्लारी मार्ग, बैंगलोर, कर्नाटका, भारत, 560064
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ करने की तिथि	05 अप्रैल 2024
7.	ऋणषोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	02 अक्टूबर 2024
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री मनीष कुमार भगत **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P00856/2017-18/11438
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई-मेल	बी-1204, शिल्प कॉर्पोरेट पार्क, राजपथ रंगोली मार्ग, आरोन स्पेक्ट्रा के समीप, बोदकदेव, अहमदाबाद-380054 **ईमेल : mbhagat2003@gmail.com**
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल	बी-1204, शिल्प कॉर्पोरेट पार्क, राजपथ रंगोली मार्ग, आरोन स्पेक्ट्रा के समीप, बोदकदेव, अहमदाबाद-380054 **deccancharter.cirp@gmail.com**
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	19 अप्रैल 2024
12.	अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों,	लागू नहीं हैं
13.	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम)	लागू नहीं हैं
14.	(क) सुसंगत प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यहां उपलब्ध हैं :	**(क)** सुसंगत प्रपत्र आईबीबीआई की वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं https://ibbi.gov.in/home/downloads **(ख)** एन. ए.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, बेगलुरू पीठ ने दिनांक **05 अप्रैल 2024** को **डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया, आरंभ करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा **डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड** के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे **19 अप्रैल 2024** को अथवा इससे पूर्व अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास, प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।
वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं।
एक वित्तीय ऋणदाता जो प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार किसी एक श्रेणी से संबंधित है, वह प्रपत्र सीए में श्रेणी (श्रेणी उल्लिखित करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी रुचि को प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के मध्य में से चुनकर उल्लिखित करेगा।
दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

मनीष कुमार भगत
अंतरिम समाधान व्यवसायी — डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00856/2017-18/11438
दिनांक : 08/04/2024
स्थान : अहमदाबाद
एएफए 24-10-2024 तक वैध है

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों को किया सचेत, कहा

लोकलुभावन योजनाएं तभी ठीक हैं, जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी लोकलुभावन योजनाएं तभी ठीक हैं, जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो। उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरी चीज की तरह बिजली उत्पादन की लागत होती है, और अगर कोई राज्य इसे उपभोक्ताओं के एक वर्ग को मुफ्त में देता है, तो यह भी सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र को भुगतान भी करना होगा। अगर उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन नहीं होगा। सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह राज्यों से कहते रहे हैं कि बिजली मुफ्त नहीं है।

उन्होंने कहा, 'अगर कोई राज्य किसी भी श्रेणी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।' उन्होंने कहा कि जिन राज्यों पर पहले ही बहुत कर्ज है, वह भी ऐसे लोकलुभावन उपायों का सहारा ले रहे हैं, और उन्हें बिजली संयंत्रों को भुगतान करने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके चलते वे ऋण के जाल में फंस गए हैं।

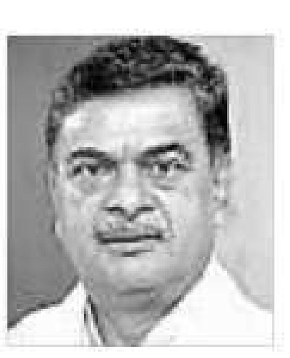

सिंह ने कहा कि किसी भी दूसरी चीज की तरह बिजली उत्पादन की लागत होती है, और अगर कोई राज्य इसे उपभोक्ताओं के एक वर्ग को मुफ्त में देता है, तो यह भी सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र को भुगतान भी करना होगा। उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया, तो बिजली उत्पादन नहीं होगा।

ऐसा करने वाले राज्यों के नाम पूछने पर उन्होंने पंजाब का नाम लिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार ने पहले दो वर्षों में 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर हालात को संभाला नहीं गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए धन नहीं होगा, क्योंकि जो भी राजस्व आएगा वह ऋण चुकाने में चला जाएगा।

अडाणी समूह नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण क्षमता में करेगा 2.3 लाख करोड़ का निवेश

खावड़ा/अहमदाबाद, 7 अप्रैल (भाषा)।

अडाणी समूह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और सौर एवं पवन विनिर्माण क्षमता वृद्धि में 2030 तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात में कच्छ के खावड़ा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने की क्षमता को वर्तमान में दो गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी देश में अन्य जगहों पर छह-सात गीगावाट की इसी तरह की परियोजनाओं में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

विस्तारा ने उड़ानें 10 फीसद घटाईं, अधिकतर घरेलू

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

एअरलाइन विस्तारा पायलट संकट के बीच परिचालन को स्थिर करने का प्रयास करते हुए अपनी क्षमता में 10 फीसद या लगभग 25-30 उड़ानें प्रतिदिन कम कर रही है। एयरलाइन को उम्मीद है कि अप्रैल में परिचालन स्थिर रहेगा। विस्तारा को 31 मार्च से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन सारिणी में प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें संचालित करनी थीं।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम सावधानीपूर्वक अपने परिचालन को प्रतिदिन लगभग 25-30 उड़ानों तक कम कर रहे हैं। यह हमारी क्षमता का लगभग 10 फीसद है। यह हमें फरवरी, 2024 के अंत में उड़ान संचालन के उसी स्तर पर वापस ले जाएगा और रोस्टरों में लचीलापन और बफर प्रदान करेगा।' ये रद्दीकरण घरेलू नेटवर्क पर और ग्राहकों की असुविधा को कम करने के लिए समय से काफी पहले किए जाते हैं।

'कृत्रिम मेधा से बढ़ीं बाजार एकीकरण संबंधी चिंताएं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अधिकार।

केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की प्रमुख रवनीत कौर ने कहा कि कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग से कार्यकुशलता और नवाचार में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ बाजार एकीकरण और प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार की चिंताएं भी जुड़ी हैं।

निगरानी संस्था केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास प्रतिस्पर्धा-रोधी तरीकों पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का अधिकार है। सीसीआइ जल्द ही कृत्रिम मेधा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अध्ययन शुरू करेगा। इसके तहत प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आने वाले हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने बताया कि अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि कृत्रिम मेधा उपयोग नियामक कैसे कर सकता है।

उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग के बढ़ते प्रभाव से प्रतिस्पर्धा कानून के लिए अवसर और चुनौतियां, दोनों हैं। ये प्रौद्योगिकियां कार्यकुशलता और नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन बाजार में एकीकरण और प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से संबंधित चिंताओं को भी बढ़ा सकती हैं। कौर ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियामक इन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्धा ढांचा मजबूत रहे और नए बदलावों का मुकाबला किया जा सके।

"फॉर्म नंबर INC-26"
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है]
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
एस्ट्रो एशिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय 16/17 एस/एफ, एलएससी रोड, सामने **14 से 23, एलएससी मदनगीर, ईएसपीएन स्पोर्ट्स के सामने, नई दिल्ली110062** है।
.......याचिकाकर्ता

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि उपर्युक्त याचिकाकर्ता कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि की मांग की जाती है। कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को एनसीटी दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने में सक्षम बनाने के लिए मंगलवार 20 फरवरी, 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की शर्तें। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बदलाव के प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक से भेज सकता है या भेज सकता है या भेज सकता है। क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, प. के विरोध का आधार। दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी की एक प्रति के साथ नीचे उल्लिखित पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय में जमा करें।

एस्ट्रो एशिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
नितेंद्र कुमार तोमर
दिनांकः 08.04.2024 डीआईएनः 07461157
स्थानः नई दिल्ली (निदेशक)
पताः ए-254, प्रधान मार्केट, ओम शांति के पास, संगम विहार, नई दिल्ली-110062
पंजीकृत कार्यालयः 16/17 एस/एफ, एलएससी रोड, सामने 14 से 23, एलएससी मदनगीर, ईएसपीएन स्पोर्ट्स के सामने, नई दिल्ली-110062

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा निर्वाचन आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

निर्वाचन आयोग ने युवा और शहरी मतदाताओं को लोस चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर कई अभियान की शुरुआत की है।

आयोग ने एक अभियान के जरिए लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर, चुनाव से संबंधित जो भी सूचना हासिल करते हैं उसे सत्यापित करने के बाद साझा करें। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा जबकि एक जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। आम चुनाव सात चरणों में हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार, वह 'टर्निंग 18' अभियान के जरिए युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को से मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने का आग्रह कर रहा है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, परिसर एवं सम्पदा विभाग, तृतीय तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011.

मुख्य परियोजना वास्तुकार सह परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति हेतु डिजाइन प्रतियोगिता प्रस्तावों के आमंत्रण के लिए नोटिस

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 'चेतना', स्कीम नं. 78, विजय नगर, इंदौर में अपने प्लॉट्स पर आवासीय फ्लैट्स/क्वार्टर्स के प्रस्तावित निर्माण के लिए मुख्य परियोजना वास्तुकार सह परियोजना प्रबंधन सलाहकार के चयन एवं नियुक्ति हेतु डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ख्याति प्राप्त व अनुभवी फर्मों/व्यक्तियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।
पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंड, प्रदान की जाने वाली सेवा का क्षेत्र, नियुक्ति के नियम व शर्तें तथा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित फॉर्मेट 8 अप्रैल, 2024 से 7 मई, 2024 को दोपहर 03.00 बजे तक बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in "एसबीआई इन द न्यूज़" "प्रोक्यूरमेंट न्यूज़" (https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने वाली इच्छुक वास्तुकार फर्में समर्थक दस्तावेजों सहित निर्धारित फॉर्मेट में अपना आवेदन दिनांक 7 मई 2024 को 03.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित दिन व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। बिना कोई कारण बताए किसी आवेदन को स्वीकार करने या सभी आवेदनों को अस्वीकार कर देने का अधिकार एसबीआई के पास सुरक्षित है तथा इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
हस्ता/-
सहायक महाप्रबंधक (परिसर एवं सम्पदा)

www.readwhere.com